न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(104)

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक निग. 87-तीन/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 10.10.2011 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 76/अपील/2010-11.

कमल सिंह आ. सुखराम
निवासी- ग्राम मेढकी
तहसील व जिला रायसेन, म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

1. आरतीबाई पत्नी स्व. श्री दिनेश
2. मुन्नीबाई उर्फ विनीता (अवयस्क)
   पुत्री स्व. श्री दिनेश
   द्वारा मां श्रीमती आरती बाई
   दोनो निवासीगण ग्राम मेंढकी
   तह. व जिला रायसेन, म.प्र. .....अनावेदकगण

श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/9/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 10.10.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी क्र. 1 द्वारा तहसीलदार, रायसेन के समक्ष इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम मेढकी में स्थित भूमि ख.नं. 157/5, 157/8 एवं 167/3 कुल रकबा 3.25 उसके पति एवं ख.नं. 156/1/1, 168 एवं 311 कुल रकबा 6.75 कमलसिंह के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अत: प्रत्यर्थी क्र. 1 द्वारा अनुरोध किया गया कि उसके पति के नाम वाली भूमि अर्थात् स्व. दिनेश के 1/2 हिस्से पर उसका नाम दर्ज किया जाये। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 456/अ-6/2007-8 दर्ज कर दिनांक 16.03.2009 को प्रत्यर्थी की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया तथा दिनांक 09.09.2009 को प्रकरण इस आधार पर पुर्नस्थापित किया गया कि दिनांक 16.03.2009 को रंगपंचमी थी। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, रायसेन के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जो उनके आदेश दिनांक 27.09.2010 के द्वारा स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई। आयुक्त द्वारा दिनांक 10.10.2011 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि विवादित भूमि आवेदक द्वारा अपने स्वयं की पूंजी से वर्ष 2002 में अपने पुत्र के नाम पर क्रय की गई थी तथा आवेदक द्वारा अपने पुत्रों के मध्य उनके स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमियों का बंटवारा नहीं किया गया है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार किये बिना ही विवादित आदेश पारित करने में गंभीर त्रुटि की है। तर्क में यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय का यह मत भी त्रुटिपूर्ण है कि राजस्व न्यायालयों को राजस्व रिकॉर्ड में मृतक दिनेश के उत्तराधिकारियों का नाम दर्ज करने का अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण समझने में भूल की गई है, क्योंकि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हिन्दू उत्तराधिकार अधिनिमय के अंतर्गत नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में मृतक दिनेश की संपत्ति में उनके उत्तराधिकारियों का नाम दर्ज करने बावत् प्रस्तुत किया गया था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों के विपरीत विवादित कार्यवाही करने में गंभीर त्रुटि की है। तर्क में यह भी कहा गया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम कि धारा 8 में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी हिन्दू पुरूष की यदि

निंवयीयत मृत्यु होती है तो मृतक की संपत्ति में प्रथम वर्ग के आधार पर मृतक की विधवा, पुत्र, पुत्री या मां का नाम उत्तराधिकारी के रूप में दर्ज होगा, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों के विपरीत विवादित कार्यवाही करने में गंभीर त्रुटि की है। तर्क में यह भी कहा गया कि अधीनस्थ तहसील न्यायालय के नियमानुसार कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ ही साथ अनावेदकगण का नाम फौती नामांतरण के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय के बिना किसी पर्याप्त कारण के तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने में गंभीर त्रुटि की गई है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायिक रूप से बोलता हुआ आदेश नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित कार्यवाही किये जाने से पूर्व विधि के प्रावधानों पर लेशमात्र भी विचार नहीं किया। उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त, भोपाल के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि नाबालिग बच्ची की स्वाभाविक संरक्षक (नेचुरल गार्डियन) उसकी मां ही होती है और राजस्व न्यायालय को यह अधिकार नहीं है कि नैसर्गिक सरपरस्त की उपेक्षा कर किसी अन्य को यह अधिकार दे सके। अतः अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं। इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनंद स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.10.2011 नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.10.2011 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर